

विधि (प्रश्न-पत्र II)  
LAW (Paper II)

निर्धारित समय : तीन घण्टे  
Time Allowed : Three Hours

अधिकतम अंक : 250  
Maximum Marks : 250

प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

उत्तर देने के पूर्व निम्नलिखित निर्देशों को कृपया सावधानीपूर्वक पढ़ें :

इसमें आठ प्रश्न हैं जो दो खण्डों में विभाजित हैं तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में छपे हुए हैं।

उम्मीदवार को कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम एक प्रश्न चुनकर तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिये नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ उल्लिखित है, को माना जाना चाहिए।

प्रश्नों के प्रयासों की गणना क्रमानुसार की जाएगी। आंशिक रूप से दिए गए प्रश्नों के उत्तर को भी मान्यता दी जाएगी यदि उसे काटा न गया हो। प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions :

There are EIGHT questions divided in TWO SECTIONS and printed both in HINDI and in ENGLISH.

Candidate has to attempt FIVE questions in all.

Question Nos. 1 and 5 are compulsory and out of the remaining, THREE are to be attempted choosing at least ONE question from each Section.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

## खण्ड 'A' SECTION 'A'

1. निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। अपना उत्तर सुसंगत विधिक प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों से समर्थित कीजिए :

Answer the following questions in about 150 words each. Support your answer with relevant legal provisions and Judicial pronouncements : 10×5=50

- 1.(a) दुराशय (मेन्स-रिया) का अन्तर्निहित सिद्धान्त एक प्रचलित लैटिन कहावत (मैक्सिम), — 'एक्टस नान फेसिट रियम निसि मेन्स सिट रिया,' — 'केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता, यदि उसका मन भी अपराधी न हो,' में अभिव्यक्त है। निर्णीत वादों सहित समझाइए।

The underlying principle of mens-rea is expressed in the familiar Latin maxim — 'actus non-facit reum nisi mens sit rea,' — 'the act does not make a man guilty unless the mind is also guilty.' Explain with decided cases. 10

- 1.(b) 'यह सिद्धान्त कि सह-षड्यन्त्रकारियों के समस्त कार्यों के लिए प्रत्येक षड्यन्त्रकारी उत्तरदायी होगा, यदि वह षड्यन्त्र के उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में किया गया है, भले ही उनमें से कुछ उस अपराध की पूर्णता में सक्रिय रूप से प्रतिभाग नहीं किये हैं।'

उपरोक्त कथन के आलोक में भा. दण्ड संहिता 1860 के अनुसार 'आपराधिक षड्यन्त्र' को समझाइए।

'The principle that every conspirator is liable for all the acts of co-conspirators if they are towards attaining the goals of the conspiracy even if some of them have not actively participated in the commission of that offence/s.'

In the light of above statement, explain the principle of criminal conspiracy as per Indian Penal Code 1860. 10

- 1.(c) 'भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 304-A के अधीन व्यक्ति को मानव वध के लिए दोषी ठहराये जाने हेतु अपेक्षित कि क्या कोई विशिष्ट कृत्य उतावलापन या उपेक्षा से किया गया कृत्य है, वस्तुतः उपेक्षा की डिग्री (मात्रा) से विनिर्धारित होता है।' विवेचना कीजिए।

'It is the degree of negligence which really determines whether a particular action will amount to rash and negligent act as required to hold a person guilty of homicide under Section 304-A of Indian Penal Code, 1860.' Discuss. 10

- 1.(d) 'राज्य के प्रतिनिहित दायित्व का विनिर्धारण इसके समस्त पदाधिकारियों द्वारा बरती गयी उपेक्षा से जुड़ी है और किसी उन्मुक्ति का दावा नहीं किया जा सकता है।'

उपरोक्त संप्रेक्षण के आलोक में राज्य के प्रतिनिहित दायित्व का उसके सम्प्रभुकृत्यों के संदर्भ में विवेचना कीजिए।

'The determination of vicarious liability of the state is linked with the negligence made by all its functionaries and no immunity can be claimed.'

In the light of above observation discuss; vicarious liability of state with reference to its sovereign functions. 10

- 1.(e) “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अन्तर्गत ‘उत्पाद-दायित्व’ का लागू किया जाना ‘क्रेता-सावधान सिद्धान्त’ के अंत (समाप्ति) और ‘विक्रेता-सावधान’ के नये सिद्धान्त के प्रारम्भ (स्थापना) को चिह्नित करता है।” विवेचना कीजिए।  
 “The introduction of ‘product liability’ under the Consumer Protection Act, 2019 marked an end of the ‘buyer beware’ doctrine and the introduction of ‘seller beware’ as the new doctrine.” Discuss. 10
- 2.(a) “भारत में ‘सौदा-अभिवाक’ को लागू किये जाने का औचित्य यह रहा है कि यह विचाराधीन कैदियों के मामलों में सस्ता एवं शीघ्र विधि (तरीके) से विलम्ब को कम करेगा।”  
 क्या आप इसके प्रचलन (अस्तित्व) के वर्तमान स्वरूप की प्रशंसा करते हैं अथवा नहीं ? अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध करें।  
 “Justification for introduction of ‘plea-bargaining’ in India was that it will reduce delay in case of undertrial prisoners in a cheaper and quicker method.”  
 Do you appreciate its existence in the same form or not? Justify your answer. 20
- 2.(b) ‘मत्तता (नशा) धारणा (बोध) और निर्णय-क्षमता को क्षीण (कम) करती है, जिससे एक व्यक्ति अपने आचरण (कृत्य) के परिणाम का पूर्वानुमान करने में असफल होता है।’ इस पृष्ठभूमि में मत्तता के बचाव संबंधी विधि की समीक्षा कीजिए और निदर्शक वादों को संदर्भित कीजिए।  
 ‘Intoxication impairs perception and judgement both so one fails to foresee the result of his conduct.’ In this backdrop, examine the law relating to the defence of intoxication and refer to the leading cases. 15
- 2.(c) आप कहाँ तक सहमत हैं कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 समाज में भ्रष्टाचार दूर करने में एक महत्वपूर्ण विधिक साधन (अभिकरण) है। विवेचना कीजिए।  
 इस विधि के अन्तर्गत मान्य अपराधों के प्रकार क्या हैं और दण्ड क्या हैं ?  
 How far do you agree that prevention of corruption Act 1988 is an important legal instrument in curbing corruption in the society. Discuss.  
 What are the types of offences recognised under this law and what are punishments ? 15
- 3.(a) “सहमति सहित/बिना सहमति के दूसरे पक्ष की सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति का तरीका सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के प्रकार को विनिर्धारित करता है और इस प्रकार — चोरी, दुर्विनियोग और आपराधिक न्यास-भंग को विभेदित करता है।” विवेचना कीजिए।  
 “It is the mode of acquiring possession of property of other party with/without his consent, which determines the type of offence against property and thus distinguishes theft, misappropriation and Criminal breach of trust.” Discuss. 20
- 3.(b) “एक व्यक्ति लोक उपताप के लिए उत्तरदायी होगा, जब वह कोई कार्य या अवैध लोप करता है जिससे जन सामान्य को साधारण क्षति, खतरा या क्षोभ कारित होता है ...”  
 उपरोक्त कथन के आलोक में उपताप का इसके प्रकारों सहित विवेचना कीजिए।  
 “A person is liable for Public nuisance, when he does an act or illegal omission which causes any common injury, danger or annoyance to the public ...”  
 Discuss Nuisance in the light of above statement along with its types. 15

- 3.(c) अपकृत्य विधि के अनुसार 'मिथ्या-कारावास' को समझाइए और 'विद्वेषपूर्ण अभियोजन' से विभेदित कीजिए ।  
 Explain 'false imprisonment' as per law of Torts and distinguish it from 'malicious prosecution.' 15
- 4.(a) 'यदि किसी एक उद्यम को उसके लाभों के लिए किसी संकटमयी या स्वाभाविक रूप से जोखिमपूर्ण गतिविधि संचालित करने के लिए अनुमति दी जाती है तो ऐसी गतिविधि से उत्पन्न किसी दुर्घटना की कीमत के लिए उपरिव्यय (प्रभार) में समुचित शर्त (निबंधन) होगी।' टिप्पणी कीजिए । (एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ) ।  
 'If an enterprise is permitted to carry on any hazardous or inherently dangerous activity for its profits, the cost of any accident arising on account of such activity must be an appropriate term of overheads.' Comment. (M. C. Mehta v. U.O.I.) 20
- 4.(b) 'व्यपहरण एक मौलिक अपराध है जबकि अपहरण आत्यंतिक रूप से अपराध नहीं है । यह जब आपराधिक आशय से किया जाता है तब अपराध हो जाता है ।' समझाइए ।  
 'Kidnapping is a substantive offence while abduction is not an offence exclusively. It becomes offence, when committed with a criminal intent.' Explain. 15
- 4.(c) 'दुष्प्रेरण का अपराध दुष्प्रेरक के आशय पर निर्भर करता है न कि दुष्प्रेरित व्यक्ति द्वारा किये गये कार्य पर ।' समझाइए ।  
 'The offence of abetment depends upon the intention of the abettor not upon the act committed by the abetted person.' Explain. 15

## खण्ड 'B' SECTION 'B'

5. निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए । अपना उत्तर सुसंगत विधिक प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों से समर्थित कीजिए :  
 Answer the following questions in about 150 words each. Support your answer with relevant legal provisions and Judicial pronouncements : 10×5=50
- 5.(a) " 'संविदा-कल्प' न्यायिक सिद्धान्तों से उद्भूत होती है और न कि दो पक्षकारों के मध्य संविदात्मक करार से ।" समझाइए ।  
 A " 'Quasi-Contract' arises out of judicial principles and not out of contractual agreement between two parties." Explain. 10
- 5.(b) 'व्यापार के उद्देश्यों के लिए 'सीमित दायित्व भागीदारी' का प्रत्येक भागीदार इसका अभिकर्ता होता है परन्तु दूसरे भागीदारों का नहीं ।' सीमित दायित्व भागीदारी और इसके भागीदारों के दायित्व के विस्तार-क्षेत्र का विश्लेषण कीजिए ।  
 Every partner of a Limited Liability Partnership (LLP) for the purposes of its business is its agent but not that of other partners. Analyse the extent of liability of LLP and its partners. 10

- 5.(c) 'असदत विक्रेता के अधिकार पक्षकारों के मध्य किसी अभिव्यक्त या विवक्षित करार पर निर्भर नहीं होते हैं। वह विधि की विवक्षा से उत्पन्न होते हैं।' समझाइए।  
 'The rights of an unpaid seller do not depend upon any agreement, express or implied, between the parties. They arise by implication of law.' Explain. 10
- 5.(d) प्रमुख और अभिकर्ता के परस्पर अधिकार और कर्तव्य के लिए उपबंध उनके संविदा में पूर्णतः दिए जा सकेंगे। अभिकर्ता के सामान्य कर्तव्यों का, युक्तियुक्त सावधानी एवं कौशल के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिए।  
 Mutual rights and duties of the Principal and agent may be wholly provided for in their contract. Discuss the general duties of the agent with special reference to the duty of reasonable care and skill. 10
- 5.(e) सामानों (वस्तुओं) के भौगोलिक संकेतों (जी.आई.) का वाणिज्यिक महत्त्व क्या होता है? सामानों के भौगोलिक संकेतों के पंजीकृत कराने से पंजीकृत मालिक और अधिकृत प्रयोक्ता के लिए उद्भूत लाभों को समझाइए।  
 What is the commercial significance of the Geographical Indications of Goods? Explain the benefits that accrue to the registered proprietors and authorised users by registration of Geographical Indications of Goods. 10
- 6.(a) संविदा-भंग के लिए प्रतिकर (नुकसानी) अधिनिर्णीत करते समय न्यायालयों द्वारा गणना में लिए जाने वाले नियमों की विवेचना कीजिए। सुसंगत सांविधिक प्रावधानों और वाद विधि को संदर्भित कीजिए।  
 Discuss the rules which are taken into account by the courts while awarding damages for the breach of contract. Refer to the relevant statutory provisions and case law. 20
- 6.(b) 'एक अवैध संविदा सदैव शून्य होती है परन्तु एक शून्य संविदा सदैव अवैध नहीं होती है।' दोनों प्रकार की संविदा का उदाहरण देते हुए परीक्षण कीजिए।  
 'An illegal contract is always void but a void contract is not always illegal.' Examine while illustrating both the types of contract. 15
- 6.(c) 'प्रतिभू का दायित्व द्वितीयक (गौण) होता है परन्तु यह मूल ऋणी के दायित्व के समविस्तीर्ण होता है।' इस पृष्ठभूमि में प्रतिभू के दायित्व के प्रकृति और विस्तार की विवेचना कीजिए।  
 'The liability of a surety is secondary, but it is co-extensive with that of Principal debtor.' In this backdrop, discuss the nature and extent of liability of surety. 15
- 7.(a) माध्यस्थम्-स्वायत्तता का सिद्धान्त माध्यस्थम् विधि के निरन्तर विकसित हो रहे क्षेत्र का एक अभिन्न तत्त्व है। माध्यस्थम्-स्वायत्तता का आधार पक्षकारों के वास्तविक आशय को प्रभावी बनाने के लिए देशज न्यायिक संकीर्णता के जोखिम से अपने को दूर रखना है। सिद्धान्त और व्यवहार के संदर्भ सहित टिप्पणी कीजिए।  
 "The principle of arbitral autonomy is an integral element of the ever evolving domain of arbitration law .... The basis of arbitral autonomy is to give effect to the true intention of the parties to distance themselves from the 'risk of domestic judicial parochialism.'" Comment with reference to the theory and practice. 20

- 7.(b) 'भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारायें 124 और 125 क्षतिपूर्ति की विधि के संबंध में पूर्ण नहीं है।' क्षतिपूर्ति और क्षतिपूर्ति-धारकों के अधिकारों के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए।  
'Sections 124 and 125 of the Indian Contract Act, 1872 are not exhaustive of the law of indemnity.' Comment in the context of Indemnity and Indemnity-holder's rights. 15
- 7.(c) 'भूल सहमति को विफल नहीं करती है, बल्कि केवल पक्षकारों को भ्रमित करती है।' सुसंगत विधिक प्रावधानों और न्यायालयों द्वारा विनिर्णीत वादों को उद्धृत करते हुए समझाइए।  
'Mistake does not defeat consent, but only misleads the parties.' Explain citing the relevant legal provisions and cases decided by the courts. 15
- 8.(a) "हाल के वर्षों में, यह महसूस किया जा रहा है जो कि निराधार नहीं है, कि 'लोक हित वाद' अब 'प्रचार हित वाद' या 'निजी हित वाद' की ओर उन्मुख हो रहा है और जो एक प्रत्युत्पादक प्रवृत्ति है।" इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।  
"There is, in recent years, a feeling which is not without any foundation that 'public interest litigation' is now tending to become 'publicity interest litigation' or 'private interest litigation', and has a tendency to be counter-productive." Examine the statement critically. 20
- 8.(b) सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 के अन्तर्गत 'सेफ हारबर' (सुरक्षित आश्रय) उपखण्ड की सुसंगतता का विवेचना कीजिए। तीसरे पक्षों की प्रविष्टियों (पोस्ट्स) और सूचनाओं को पारेषित करने के लिए मध्यस्थों (विचौलियों) को उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए।  
Discuss the relevance of the 'safe harbour' clause under the Information Technology Act 2000. Comment on the need to make the intermediaries liable for transmitting the posts and communications of third parties. 15
- 8.(c) एक सूचना जिस रूप में माँगी गयी है, साधारणतया उसी रूप में दी जानी आवश्यक है। क्या इस नियम के कोई अपवाद हैं? उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए।  
An information shall ordinarily be provided in the form in which it is sought. Are there any exceptions to this rule? Explain with suitable illustrations. 15